

न्यायलय अग्नि सुधार उपखण्ड, अरवल
 विहार ग्राम विवाद निराकरण अधिनियम - 09
 वाद सं० - 78/2011
 रामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी, मानकीजी, श्रीधर अर्मा
 बनाम
 नारायण अर्मा पतेश्वर

19/6/12	<p> प्रथम पक्ष की हाजिरी प्रार्थना द्वितीय पक्ष की हाजिरी प्रार्थना द्वितीय पक्ष के द्वारा श्री विवेक विहारी सिंह अधिवक्ता पटना उच्च न्यायलय के पत्र सं० अपील की प्रविण की धारा प्रति सनभित किया गया जिससे स्पष्ट है कि स्वतः (कंठवाश) वाद सं० 152/92 के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायलय पटना में अपील वाद सं० 154/2008 दाखल किया गया है, जो अभी विचारधीन है </p>
---------	---

अनुसूची 14-फारम सं० 563

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	<p>वाढ सं० 152/92 में अवर न्यायधिश अहमदाबाद के आदेश के क्रियांकन हेतु इस न्यायलय में वाढ लागू करा है, जो उचित नहीं है चूंकि जिस न्यायलय का आदेश होता है उसी न्यायलय में इस तरह वाढ कायम किया जाता है।</p> <p>अतः उपरोक्त न्याय के आदेश में वाढ की कारवाई समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">A3 19/06/12</p>	